संख्याः 391/53-1-2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषयः-उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-03/दुग्ध-9/दुग्ध नीति-2022/2022-23, दिनांक-03 अप्रैल, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जो उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 व तत्सम्बन्धी निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक-20.02.2023 मे स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही की जायः-

(1) उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत स्थापित इकाई ही स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

(2) इकाई द्वारा स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित प्रारूप (उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के कियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक-20.02.2023 का संलग्नक-AA) पर किए जाएंगे।

(3) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा कय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर भुगतान की गई स्टाम्प शुल्क की धनराशि सम्बन्धित उप निबन्धक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 (निबन्धन प्राधिकारी) के स्तर से निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-रूपपत्र) पर प्राप्त किये जायेंगे, जिस पर सम्बन्धित जनपद के दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन पोर्टल पर संस्था/इकाई द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(4) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित इकाई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त एकमुश्त की जाएगी।

(5) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्गत दिशानिर्देश सम्बन्धी शासनादेश संख्या-104/53-1-2023, दिनांक 20-02-2023 के अनुसार स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आँकलन उपलब्ध करानें के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 19-04-2023 12:50:24
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–391(1)/53–1–2023,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम),उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2– सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।
3– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7– स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ।
10–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11–वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
12–मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13–वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–1/2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1।
14–वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
15–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/–
(करूणेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रूप–पत्र

1– आवेदक/संस्था का नाम–...।

2– आवेदक/संस्था का पूर्ण पता–...।

3– संस्था का ई–मेल–...।

4– संस्था का दूरभाष न0–..।

5– संस्था का विवरण–...।

6– संस्था का पैन न0–..।

7– संस्था का जी0एस0टी0 न0–..।

8– भूखण्ड का गाटा/खतौनी संख्या,
(जिस पर उद्योग संचालित है)–..।

9– भूखण्ड का क्षेत्रफल–..।

10– भूखण्ड के निबन्धन का विवरण, जो उपनिबन्धक कार्यालय के अभिलेखों में दर्ज किया गया है–...।

11– भूखण्ड के क्रय अथवा लीज़ पर लिये जाने के लिए निबन्धन विभाग को भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि– अंकों में..।
शब्दों में..।

प्रमाणित किया जाता है कि.................................... के द्वारा डेयरी उद्योग/पशु आहार उद्योग स्थापित करने के लिए तहसील.................................जनपद..............................में क्रय/लीज़ पर ली गयी भूमि रकबा..........................पर स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 को कुल रू0.......................................का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

हस्ताक्षर
उप निबन्धक/निबन्धक प्राधिकारी
का नाम एवं मुहर।

दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का
प्रतिहस्ताक्षर